कुलानुशासक कार्यालय
लखनऊ विश्वविद्यालय
(ACCREDITED A++ BY NAAC)

दिनांक 14.07.2023

आवश्यक सूचना/प्रेस–विज्ञप्ति

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं उत्तर–प्रदेश सरकार द्वारा छात्र–छात्राओं की उच्च शिक्षा के उन्नयन हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में लखनऊ विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र–2023–2024 में पठन–पाठन कार्य प्रारम्भ हो रहा है । अतएव दिनांक 17.07.2023 से लखनऊ विश्वविद्यालय के उभय परिसर में शान्ति एवं सुव्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है :–

01. लखनऊ विश्वविद्यालय के समस्त सम्मानित शिक्षको/अधिकारियों से अनुरोध है कि वे अपने विभाग के समीप स्थित वाहन स्टैण्ड पर अपने वाहन रखने के उपरान्त परिसर में प्रवेश करने का कष्ट करें । यदि किसी शिक्षक/अधिकारी को अपरिहार्य कारणों से विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिसर में अपने वाहन सहित प्रवेश करना आवश्यक हो तो वे परिसर स्थित द्वार संख्या 02 से आगमन एवं प्रस्थान करने का कष्ट करें ।
02. विश्वविद्यालय के कर्मचारियों से भी अनुरोध है कि वे अपने विभाग के समीप स्थित वाहन स्टैण्ड पर अपने वाहन रखने के उपरान्त परिसर में प्रवेश करने का कष्ट करें । यदि किसी कर्मचारी को स्वास्थ्य सम्बन्धी व अन्य किसी प्रकार की कोई समस्या है, जिसके कारण उन्हें अपने वाहन सहित प्रवेश करना आवश्यक है तो उन्हें अपनी समस्या का उल्लेख करते हुये अपने विभागाध्यक्ष को एक प्रत्यावेदन प्रस्तुत करना होगा। सम्बन्धित कर्मचारी के विभागाध्यक्ष यदि उपयुक्त समझेंगे तो उस कर्मचारी का प्रत्यावेदन वाहन–पास निर्गत करने हेतु इस कार्यालय में अग्रसारित करेंगे ।
03. छात्र–छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वे अपने वाहन परिसर स्थित निर्धारित वाहन–स्टैण्डों द्वार संख्या 01, 02, 04 एवं 05 पर रखने के उपरान्त शैक्षणिक परिसर में पैदल प्रवेश करेंगे । शैक्षणिक परिसर में छात्र–छात्राओं का वाहन सहित प्रवेश पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा । यदि कोई छात्र प्रवेश द्वार से अनाधिकृत रूप से अपने वाहन सहित प्रवेश करने की कुचेष्टा करेगा, अथवा परिसर में वाहन सहित घूमता हुआ पाया जायेगा तो उसके विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।
04. छात्र–छात्रायें समूह बनाकर न घूमें।
05. शैक्षणिक परिसर में बाहरी विद्यार्थियों/व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतया निषेध रहेगा। बिना किसी उपयुक्त कारण के परिसर में घूमने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा समुचित कार्यवाही की जायेगी ।
06. छात्र–छात्राएें अपने साथ अपना परिचय–पत्र/छात्रत्व की पुष्टि हेतु अभिलेख साथ लेकर आयेंगे।
07. लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा शैक्षणिक परिसर को **स्वच्छ एवं हरित परिसर** के साथ–साथ **"वाहन निषिद्ध क्षेत्र" (No Vehicle Zone)** बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें विश्वविद्यालय परिवार के समस्त सदस्यों का सहयोग अपेक्षित है ।
08. **नार्थ गेट (मछली द्वार) सभी के लिये बन्द रहेगा । इस द्वार से न तो किसी का आगमन होगा और न ही प्रस्थान ।**
09. परिसर में प्रवेश हेतु जिन शिक्षको, अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा दिव्यांग छात्र–छात्राओं को इस कार्यालय द्वारा वाहन पास निर्गत किये गये हैं, उन्हें द्वार संख्या 02 से परिसर में प्रवेश दिया जायेगा ।
10. परिसर में आग्नेयास्त्रों (वैधानिक एवं अवैधानिक) का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा ।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त व्यवस्था का अनुश्रवण कर विश्वविद्यालय प्रशासन का यथेष्ठ सहयोग करने का कष्ट करें ।

14/7/2023
(प्रो0 राकेश द्विवेदी)
कुलानुशासक
लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ

संख्या : 1511-35 दिनांक 14.07.2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. निजी सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ ।
2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3. समस्त संकायाध्यक्ष को इस आशय के साथ कि समस्त विभागाध्यक्षों को उक्त आशय की सूचना प्रसारित करने का कष्ट करें ।
4. मुख्य अभिरक्षक, लखनऊ विश्वविद्यालय छात्रावास, लखनऊ ।
5. अधिष्ठाता, महाविद्यालय विकास परिषद्, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ ।
6. निदेशक, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वितीय परिसर, लखनऊ ।
7. निदेशक, समस्त संस्थान/समस्त पुस्तकालयाध्यक्ष, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ ।
8. अपर कुलानुशासक, लखनऊ विश्वविद्यालय, द्वितीय परिसर, लखनऊ ।
9. कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ ।
10. वित्त अधिकारी, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ ।
11. निदेशक, आई0पी0पी0आर0, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना समस्त समाचार–पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
12. इंचार्ज वेबसाइट को आशय से प्रेषित कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें ।

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को भी प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, लखनऊ ।
2. अपर जिलाधिकारी (नगर–टी0जी0) लखनऊ ।
3. अपर नगर मैजिस्ट्रेट, (पंचम/षष्ट्म), लखनऊ ।
4. आयुक्त, लखनऊ ।
5. पुलिस उप आयुक्त (मध्य), लखनऊ ।
6. अपर पुलिस उप आयुक्त (मध्य) लखनऊ ।
7. सहायक पुलिस आयुक्त, महानगर/अलीगंज, लखनऊ ।
8. प्रभारी निरीक्षक, हसनगंज/जानकीपुरम लखनऊ ।
9. प्रभारी, पुलिस चौकी, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ ।

(प्रो0 राकेश द्विवेदी)
कुलानुशासक
लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ